राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.) / डीएलबी / 24 / 2469 दिनांक: 14/08/2024

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक – प.2(च)( ) / जांच / डी.एल.बी. / 2024 / 3246 दिनांक 13.08.2024 द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका नोहर श्रीमती मोनिका खेटोतिया को अध्यक्ष एवं सदस्य के पद से निलंबित किए जाने से वर्तमान में अध्यक्ष नगरपालिका नोहर का पद रिक्त है। अध्यक्ष नगरपालिका नोहर का पद अनारक्षित वर्ग महिला हेतु आरक्षित है।

अतः नगरपालिका नोहर में दैनिक एवं अतिआवश्यक कार्य यथा सफाई कार्य, वर्षा में नालों की सफाई एवं लाईट इत्यादि से संबंधित कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(i)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती खातून पार्षद वार्ड संख्या 18 को नगरपालिका नोहर के अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.) / डीएलबी / 24 / 2470 — 81 दिनांक: 14/08/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर / जिला कलक्टर गंगानगर।
5. निदेशक / अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर को रिक्ति की सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
8. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर।
9. श्रीमती खातून पार्षद वार्ड संख्या 18 नगर पालिका नोहर।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी